

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 808 / 2015 / भीलवाड़ा.
2. अपील संख्या – 809 / 2015 / भीलवाड़ा.
3. अपील संख्या – 810 / 2015 / भीलवाड़ा.
4. अपील संख्या – 811 / 2015 / भीलवाड़ा.
5. अपील संख्या – 812 / 2015 / भीलवाड़ा.

मैसर्स गणेशदास सत्यनारायण, गांधी बाजार, भीलवाड़ा.अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर भीलवाड़ा.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा.प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित :

श्री एस. एल. कोगटा एवं
श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषकगणअपीलार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08 / 05 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त समस्त अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 20.02.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिसमें तथ्यों एवं विधि का समान बिन्दु निहित होने से इनका निर्णय संयुक्त निर्णय से ही किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म द्वारा राज्य की 5 ऐसी फर्मों से माल की खरीद की जाना बताया गया था जिनके द्वारा माल के बिल जारी किये गये थे परन्तु उनकी राज्य स्तरीय जांच में यह पाया जाना आरोपित किया गया कि उन फर्मों द्वारा माल का भौतिक रूप से कोई क्रय विक्रय नहीं किया गया था बल्कि केवलमात्र गेहूं के बिलों का आदान प्रदान किया गया था एवं इन बिलों के जरिये क्रेता व्यवसायियों द्वारा आई.टी. सी. का लाभ लिया जा रहा था जबकि विक्रेता फर्मों द्वारा कोई कर राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था एवं उन फर्मों के विरुद्ध सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करते हुए उनके पंजीयन भी निरस्त कर दिये गये थे ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 18(2) का हवाला देते हुए एवं धारा 18(3)(V) के अनुसार बिलों को अप्रमाणित मानते हुए आई.टी.सी. अस्वीकृत की गई तथा करापवंचन के उद्देश्य से फर्जी एवं

लगातार.....2

बोगस बिल प्राप्त करने के अपराध में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का भी आरोपण किया गया जिसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाने पर यह निर्णय किया गया कि वेट अधिनियम की धारा 18(2) के अनुसार विक्रेता द्वारा कर जमा होने पर ही आई.टी.सी. का लाभ मिल सकता है एवं इन प्रकरणों में कर जमा नहीं होने के कारण कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि की गई थी जिसमें आई.टी.सी. का लाभ अस्वीकार किया गया था।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं मिसलों का अवलोकन किया गया।

4. अपीलार्थी फर्म द्वारा जिन 5 फर्मों द्वारा माल की खरीद की गई थी जिनके बिलों पर आई.टी.सी. का क्लेम अस्वीकृत किया गया था, वे निम्न फर्मों थीं :-

- (1) मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडर्स, जयपुर;
- (2) मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर;
- (3) मैसर्स कंसल ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर,
- (4) मैसर्स सोम ब्रदर्स, हनुमानगढ़; एवं
- (5) मैसर्स जय अम्बे ट्रेडिंग कम्पनी, पीलीबंगा, हनुमानगढ़

5. उक्त पांचों फर्मों वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत थी एवं इनके द्वारा वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में त्रैमासिक विवरण प्रपत्र वैट-10 तथा बिक्री विवरण प्रारूप वैट-07 सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों के समक्ष पेश किये गये थे परन्तु उन व्यवसायियों के सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उन फर्मों की जांच करवाई जाने पर यह पाया गया था कि उनके द्वारा वास्तविक खरीद बिक्री नहीं की गई है बल्कि केवल बिल जारी किये जा रहे थे अतः उन संदिग्ध संव्यवहारों की निरंतरता को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से उनके पंजीयन प्रमाण-पत्रों को दिनांक 01.04.2006 से निरस्त कर दिये गये एवं इसकी सूचना वाणिज्यिक कर विभाग के मुख्यालय से राज्य के अन्य कर निर्धारण अधिकारियों को दी जाकर ऐसे संव्यवहारों के समर्थन से क्लेम की गई आई.टी.सी. का लाभ नहीं दिये जाने का निर्देश दिया गया। इस प्रकरण के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी फर्म की क्लेम की गयी आई.टी.सी. में से उक्त व्यवहारियों के बिलों से सम्बन्धित आई.टी.सी. क्लेम को अस्वीकार करते हुए प्रथम बार दिनांक 11.02.2008 को आदेश पारित किया गया था जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच की जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये थे जिसकी पालना में दिनांक 30.03.2010 को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। पुनः उस कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने




लगातार.....3

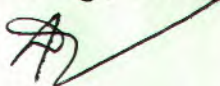
दिनांक 31.03.2011 के आदेश से दोबारा जांच करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2011 के आदेश में अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपित शास्ति एवं ब्याज को अपास्त कर दिया गया था जिसके विरुद्ध माननीय राजस्थान कर बोर्ड में विभाग द्वारा अपील की जाने पर दिनांक 10.05.2013 को शास्ति अपास्त किये जाने के आदेश की पुष्टि की गई परन्तु कर एवं ब्याज के मामले में प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने की पुष्टि की गई थी। इसी दौरान दिनांक 17.04.2013 को (30.04.2011 के अपीलीय आदेश की पालना में) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच की जाकर अपीलार्थी का पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किया गया जिसमें आई.टी.सी. के क्लेम को निरस्त किया गया तथा ब्याज का भी आरोपण किया गया। उस आदेश के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 20.02.2015 को यह निर्णय किया है कि वेट अधिनियम की धारा 18 के आलोक में कर जमा होने पर ही आई.टी.सी. का लाभ मिल सकता है जबकि अपीलार्थी के बिक्री व्यवहार संदिग्ध होने एवं कर जमा होने का कोई प्रमाण पेश नहीं होने से कर निर्धारण आदेश की पुष्टि की गई।

6. दिनांक 20.02.2015 के अपीलीय आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित आदेश में यह उल्लेख त्रुटिपूर्ण किया है कि कर जमा नहीं है। उन्होंने यह तर्क दिया है कि विक्रेता व्यवहारियों द्वारा विवरण पत्र एवं उन विवरण पत्रों में देय कर जमा होने के सबूत प्रस्तुत किये गये थे ऐसी स्थिति में कर जमा नहीं होने का अपील निर्णय का आधार त्रुटिपूर्ण होने से अपास्तनीय है। यह भी तर्क दिया है कि अपीलार्थी के पास पंजीकृत व्यवहारी के वैध बिल उपलब्ध हैं एवं कर निर्धारण अधिकारी को इसके प्रमाण दिये गये थे। साथ ही विक्रेताओं के द्वारा भुगतान किये गये कर राशि के प्रमाण भी प्रस्तुत किये गये थे परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में दो बार पारित अपीलीय आदेशों के निर्देशों की समुचित पालना नहीं की गई। उन्होंने माननीय न्यायिक निर्णयों का भी हवाला दिया है जिसमें पूर्ववर्ती अवधि से निरस्त किये गये पंजीयन प्रमाण-पत्रों के मामलों में क्रेता व्यवहारियों का दोषविहीन होना निर्णीत किया गया है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त न्यायिक निर्णयों को अस्वीकार किया है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया है कि उनका प्रकरण पूर्व में दो बार जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया जा चुका है एवं यह तीसरा कर निर्धारण आदेश है जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है अतः बार-बार प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेशों को भी अनुचित बताया।




7. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं मिसलों का अवलोकन किया गया।

8. इस प्रकरण में आई.टी.सी. के क्लेम के विवाद पर पूर्व में दो कर निर्धारण आदेश एवं उनके विरुद्ध दो अपीलीय आदेश तथा कर बोर्ड के निर्णय के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि किसी भी स्तर पर आई.टी.सी. के क्लेम को बिना कर के भुगतान के दिये जाने का निर्देश नहीं दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 17.04.2013 के परिशीलन पर यह तथ्य दृष्टिगत हुआ है कि 5 संदिग्ध व्यवहारियों द्वारा जो बिल जारी किये गये हैं उससे सम्बन्धित माल का गमनागमन एवं उसका भुगतान होने सम्बन्धी साक्ष्यों का निरीक्षण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये जाने पर यह स्पष्ट हुआ है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्येक पार्टी से बड़ी मात्रा में माल का क्रय होने के बावजूद भी उसका भुगतान सेल्फ के चैक के जरिये बताया परन्तु वह राशि बैंक से कैश ही निकाली गयी है जबकि सामान्य वाणिज्यिक संव्यवहारों में यह किसी भी तरह सम्भव एवं स्वीकार्य नहीं होता है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश में चैक की प्रतियों एवं बैंक अकाउण्ट की प्रतियों को साया करते हुए भुगतान की विधि को दर्शाया है जो यह प्रमाणित करता है कि माल का वास्तविक भुगतान नहीं हुआ है बल्कि केवल बैंक से एंट्री करने की व्यवस्था की है। इससे यह साक्ष्य प्रमाणित है कि इस अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिलों का भुगतान जैसा कि अभिभाषक ने बताया कि समुचित रूप से किया है उचित नहीं पाया जाता है। इसी तरह विद्वान अभिभाषक द्वारा जिन विवरण पत्रों को आधार बताया जा रहा है उन विवरण पत्रों की हमारे द्वारा जांच की जाने पर यह पाया गया कि उन पांचों व्यवसायियों द्वारा प्रत्येक तिमाही में कई करोड़ रुपयों की राशि के विक्रय बताये हैं परन्तु कर का भुगतान बहुत ही अल्प मात्रा में करते हुए पुनः आई.टी.सी. का क्लेम लिया गया है जैसा कि श्री महालक्ष्मी ट्रेडर्स का तृतीय तिमाही का विवरण पत्र जो विद्वान अभिभाषक ने पेश किया है उसमें त्रैमासिक बिक्री रुपये 7.25 करोड़ की बताई गई है एवं आउटपुट टैक्स रुपये 25.89 लाख बताया गया है जबकि उनके द्वारा कर का भुगतान केवल 10,856/- रुपये किया गया है। इसी तरह शंकर ट्रेडिंग कम्पनी के प्रथम तिमाही के विवरण पत्र में रुपये 5.73 करोड़ का विक्रय बताया गया है जिसमें आउटपुट टैक्स 22.80 लाख रुपये बताया गया है परन्तु कर के भुगतान की राशि मात्र 11,901/- रुपये है। इसी तरह इसी व्यवहारी की द्वितीय तिमाही की बिक्री 3.14 करोड़ एवं आउटपुट टैक्स 31.40 लाख बताया गया है जबकि कर राशि जमा होने के बजाय आई.टी.सी. होना बताते हुए रिफण्ड राशि बताई गई है एवं इसी तरह तृतीय तिमाही




लगातार.....5

में 5.23 लाख का विक्रय एवं आउटपुट टैक्स 18.63 लाख बताया गया है जबकि उसका कर का वास्तविक भुगतान केवल 11,164/- रुपये किया गया है। इसी तरह सोम ब्रदर्स एण्ड कम्पनी द्वारा प्रस्तुत वैट-10 में 69 लाख की प्रथम तिमाही की बिक्री के विरुद्ध आउटपुट टैक्स रुपये 2.71 लाख के विरुद्ध कर रुपये 2,444/- जमा करवाया गया है। इन विवरण पत्रों से प्रतीत है कि इन विक्रेता व्यवसायियों ने अपने विक्रयों के सम्बन्धित विभागीय अनिवार्यता को पूरा किया है परन्तु यह कार्य केवलमात्र आई.टी.सी. के लाभ के दुरुपयोग के लिये किया जाना प्रतीत होता है। इसी कारण इनके सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों ने कर रिसाव को रोकने के उद्देश्य से उन व्यवहारियों की जांच कर उनके पंजीयन प्रमाण-पत्रों को निरस्त किया गया है जिसके विरुद्ध उन विक्रेताओं ने किसी तरह की आपत्ति की जाना रेकॉर्ड पर नहीं लिया गया है क्योंकि ऐसे मामलों में ऐसे व्यवहारियों द्वारा केवल बिलों के आदान प्रदान का ही कार्य किया जाता है जैसा कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपनी जांच में यह प्रमाणित किया है कि इन संदिग्ध बिलों से माल का गमनागमन नहीं हुआ है क्योंकि यह विक्रेता फर्म भीलवाड़ा से 300 से 500 किमी. दूरी पर स्थित होने के बावजूद उसी दिन के बिल का माल जमाखर्च होना एवं उनका भुगतान बैंक के जरिये तो बताना परन्तु वास्तविक रूप से वह स्वयं के चैक द्वारा कैश निकाला जाना भी प्रमाणित किया है। इसी तरह अपीलार्थी के संव्यवहारों की कृषि मण्डी में प्रविष्टियां नहीं होना तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अस्तित्वहीन व्यवसायी होना जैसी जांच के आधार पर पंजीयन निरस्त करने की परिस्थितियों में आई.टी.सी. का क्लेम दिया जाना उचित नहीं माना है।

9. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी की यह दलील कि उनके खरीद के संव्यवहारों के सम्बन्धित विक्रेता फर्म वहां पंजीकृत थी अतः उन्हें आई.टी.सी. का लाभ मिलना चाहिये उस स्थिति में संव्यवहारों की सत्यता की जांच करना आवश्यक मानते हुए जांच में बैंक खातों से अपीलार्थी द्वारा जो भुगतान किया जाना बताया गया था वस्तुतः उन प्रविष्टियों का भुगतान व्यवहारी द्वारा स्वयं ही अपने चैक का उपयोग करते हुए प्राप्त किया जाना पाया गया था जिसके द्वारा सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक भीलवाड़ा की चैक संख्या 31413 के जरिये कंसल ट्रेडर्स जयपुर को दो लाख का भुगतान करना बताया गया था परन्तु उसका भुगतान स्वयं ही अपीलार्थी ने नगद भीलवाड़ा की बैंक से प्राप्त किया है इसी तरह अन्य चैक संख्या 31419 का भी भुगतान कैश से होना दर्शाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी की यह टिप्पणी




लगातार.....6

उक्त साक्ष्यों के दृष्टिगत उचित है कि केवलमात्र आगत कर का लाभ लेने के लिये कूटरचित खरीद संव्यवहारों को मान्यता नहीं दी जा सकती। कर निर्धारण अधिकारी का यह तर्क उचित है कि वेट अधिनियम की धारा 2(35) के अनुसार किसी बिक्री में प्रतिफल का भुगतान अनिवार्य होता है परन्तु अपीलार्थी द्वारा जो भुगतान बताया गया है वह केवल लेखा समायोजन मात्र प्रतीत होता है क्योंकि कई लाख रुपये की राशि के भुगतान सेल्फ से दिया जाना व्यापारिक सामान्य संव्यवहारों में सम्भव नहीं है इसी तरह माल परिवहन के सम्बन्ध में बिल्टी या अन्य दस्तावेज नहीं होना एवं भाड़े के भुगतान सम्बन्धी भी साक्ष्य नहीं होना प्रमाणित किया है जो पुनः विक्रय संव्यवहारों के वास्तविक रूप से नहीं होने को प्रमाणित करता है। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 04.04.2013 को लेखा-पुस्तकों की जांच में यह टिप्पणी की गयी है कि अपीलार्थी व्यवहारी की रोकड़ के समस्त संव्यवहार सम्बन्धित विक्रेता के खातों में भी दर्ज किये गये हैं जबकि कंसल ट्रेडर्स के खाते में बिना उचित प्रावधानों के खातों का मिलान किया गया है। इसके अलावा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विक्रेताओं के कर निर्धारण अधिकारी से सूचना चाही जाने पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि उन व्यवहारियों द्वारा दर्शाई गई खरीद भी इसी तरह मिथ्या पायी गयी थी एवं उनके स्तर पर देय कर राजकोष में जमा नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में किसी एक स्थान पर भी किसी माल का देय कर जमा नहीं होने की स्थिति में अग्रिम चरण में कर का समायोजन दिया जाना सम्भव नहीं है। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच में पाये गये साक्ष्यों से यह प्रतीत है कि विक्रय संव्यवहार लेखा-पुस्तकों में दर्ज किये गये हैं परन्तु वास्तविक रूप से माल का आदान प्रदान नहीं होकर केवल लेखा-पुस्तकों में उसकी प्रविष्टि की गयी है तथा उन विक्रय सम्बन्धी भुगतान भी रोकड़ से किया जाना स्वतः संदेह को पुष्ट करता है। इस तरह विक्रेता व्यवसायियों द्वारा जो विवरण पत्र विभाग में प्रस्तुत किये हैं जिसमें प्रति तिमाही करोड़ों रुपये की राशि के विक्रय बताने वाले व्यवसायी का पंजीयन निरस्त कर देने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई आपत्ति की जाना अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में नहीं बताया गया है जिससे यह पुष्टि होती है कि उन व्यवहारियों द्वारा केवल कागजी तौर पर संव्यवहार किये गये थे एवं उनके पंजीयन दायित्व को निरस्त करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई है अतः अन्तिम रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि विक्रेता व्यवहारियों द्वारा मात्र बिलों का आदान प्रदान किया गया है एवं उनके द्वारा विभागीय औपचारिकताओं को पूरा करने के लिये लाखों रुपयों की राशि के कर के ऐवज में अति अल्प राशि जमा करवाकर आई.टी.सी. का लाभ लेने का प्रयास किया गया है।

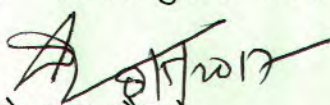


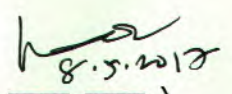

10. उक्त तथ्यात्मक स्थिति में अपीलार्थी को आई.टी.सी. का लाभ दिये जाने का निर्देश दिया जाना विधि अनुकूल नहीं है क्योंकि वेट अधिनियम में प्रत्येक व्यवहारी को अपने आउटपुट टैक्स का भुगतान करना प्रथम दायित्व है तथा जो कर उसके द्वारा खरीद के समय चुकाया गया है उसका क्लेम लेने का अधिकार वेट अधिनियम की धारा 18 के तहत दिया गया है जिसे प्राप्त करने के लिये वेट अधिनियम की धारा 18 की सभी शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है एवं धारा 18(3) में वे आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं किये गये हैं जिनमें क्रेता व्यवहारी अपने क्रय संव्यवहारों की सत्यता को प्रमाणित करने में असफल रहते हैं। अपीलार्थी के उक्त संव्यवहारों में विक्रेता व्यवहारियों के पंजीयन दायित्व का निरस्त होना एवं उनके द्वारा माल के गमनागमन होने सम्बन्धी प्रमाणीकरण नहीं होने एवं उनके भुगतान भी कैश से होने के साक्ष्यों के अधीन तथा उन विक्रेता व्यवहारियों द्वारा भी बाद में भी उनकी सत्यता प्रमाणित नहीं करवाने की स्थिति में आई.टी.सी. का क्लेम दिया जाना विधि अनुकूल नहीं है। यह उल्लेख करना भी उचित है कि कर व्यवस्था में किसी भी तरह का लाभ प्राप्त करने के लिये उसकी पात्रता संदेह से परे होना आवश्यक है। फलतः कर निर्धारण आदेश में आरोपित कर एवं आई.टी.सी. को अस्वीकार करने के निर्णय की पुष्टि की जाती है।

11. प्रकरण में अपीलीय आदेश का मूल आधार यह है कि धारा 18(2) के अनुसार यदि विक्रेता व्यवसायी द्वारा समुचित कर जमा नहीं कराया गया है तो उन जमा विहिन राशियों का समायोजन आई.टी.सी. के रूप में दिया जाना राजकोष के प्रतिकूल होगा। अपीलीय अधिकारी द्वारा इसी आधार पर अपील अस्वीकार की गयी है जो विधिसम्मत है अतः इसकी पुष्टि की जाती है परन्तु न्यायहित में यह उल्लेख भी किया जाता है कि यदि अपीलार्थी द्वारा उक्त पांचों विक्रेता व्यवसायियों के पंजीयन दायित्व को निरस्त किये जाने के विरुद्ध किसी न्यायिक कार्यवाही में पंजीयन को पुनर्स्थापित करना निर्णीत होता है एवं उनके कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग सृजित होना एवं उनके जमा होना प्रमाणित होने के साक्ष्य प्रस्तुत किये जाते हैं तो अपीलार्थी को आई.टी.सी. का क्लेम दिया जा सकता है।

12. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें उपरोक्त टिप्पणी के साथ अस्वीकार की जाती हैं तथा अपीलीय आदेश दिनांक 20.02.2015 की पुष्टि की जाती है।

13. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(मदन लाल)
सदस्य